

सु० न०:- 172/2022

तारीखरजु:- 23/9/22

उनवान:- जसराम बनाम पृथ्वी
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा


दिनांक	फर्द अहकाम
23 ⁹ / ₂₂	<p>वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को पेश हो।</p> <p>(दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
30 ⁹ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपर। प्रतिवादी नं० 1, 2, 3, 6 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवो ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। शेष प्रतिवादी नं० 4, 5, 7, 8 के नोटिस ड्राफ्ट तारीख होकर प्राप्त हुए हैं पुनः सही पते पर नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को हिदायत दी गई। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 7-10-22 को पेश हो।</p>
7 ¹⁰ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई वकुलाप उपस्थित। शेष प्रतिवादी नं० 4, 5, 7, 8 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को हिदायत दी गई एवं प्रतिवादी नं० 1, 2, 3, 6 की ओर से जबाब पेश करने के लिए प्रतिवादी वकील को सम्प दिया गया। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 21-10-22 को पेश हो।</p>
21-10-22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 14-11-22 को पेश हो।</p>

541118
23/9/22



9

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

क्रमांक	फर्द अहकाम	
<p>२५६</p>	<p>पत्तावर्षी फेडरेशन। वाडी रुफ वाडी वरील कोठी रुपांतर नदी। वा २ भावा भा डेवरी वरी। इतके चावगुड मी कोठी मी रुपांतर नदी दुखा इतकेच वाडी का उवा-वावल रूपायी मिसेव्याडा वाडी रुफ वाडी वरील मी काम प्रवर्ष हाडम इति मी रूपांतर मिपा जाला हे पत्तावर्षी फेडरेशन मी देण नम्याले कम फटडाविल इतरही।</p>	<p style="text-align: right;">  उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) </p>